

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक:-3/पी०एम०सी०/प्र०स्वी०/111/2013-14/20-21 प्र०(वी०) /राँची, दिनांक:- 01-02-2021

प्रेषक:

प्रशांत कुमार,
सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड, हिन्डू राँची

द्वारा:- आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग।

विषय:- सिंचाई यांत्रिक प्रमण्डल, राँची के अन्तर्गत तजना बराज योजना के शीर्ष कार्य के गेटों का अधिष्ठापन कार्य एवं उत्तोलन प्रणाली का Over hauling आदि कार्य हेतु रु० 164.735 लाख (एक करोड़ चौसठ लाख तिहत्तर हजार पाँच सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

आदेश-स्वीकृति।

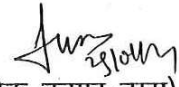
1. सिंचाई यांत्रिक प्रमण्डल, राँची के अन्तर्गत तजना बराज योजना के शीर्ष कार्य के गेटों का अधिष्ठापन कार्य एवं उत्तोलन प्रणाली का Over hauling आदि कार्य हेतु रु० 164.735 लाख (एक करोड़ चौसठ लाख तिहत्तर हजार पाँच सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।
2. उपरोक्त कार्य के अन्तर्गत 07 अदद नया गेट लगाने का कार्य एवं Hoisting arrangement का overhauling कार्य के साथ-साथ रबर सील, रोलर, रोलर ट्रैक को बदलकर नये रूप से लगाने का कार्य कराया जाएगा।
3. इस कार्य के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता, सिंचाई यांत्रिक प्रमण्डल, राँची तथा नियंत्री पदाधिकारी मुख्य अभियंता (यांत्रिक), जल संसाधन विभाग, राँची होंगे।
4. इस कार्य पर होने वाला व्यय, बजट शीर्ष 4701-मध्यम सिंचाई एवं पूँजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष-80, सामान्य लघु शीर्ष-796, जनजातीय क्षेत्रीय उप-योजना उपशीर्ष-46-सिंचाई योजनाओं का पुर्नस्थापन, विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण-45-निर्माण कार्य (49S470180796460545) के अन्तर्गत विकलनीय होगा।
5. वर्ष 2020-21 के लिए बजट शीर्ष 49S-4701-80-796-46-05-45 में रु० 523.00 लाख का प्रावधान है।
6. राशि की निकासी वित्त विभाग की परिपत्र संख्या-2561, दिनांक-17.04.1998 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य परिपत्र के अधीन संबंधित कोषागार से की जायेगी।
7. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम-300 का अनुपालन दृढ़ता से किया जायेगा।
8. राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, डोरण्डा (राँची) से की जायेगी।
9. किसी भी स्थिति में राशि की निकासी बजट उपबंध के अन्तर्गत होगा।
10. यह कार्य वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रारम्भ कर वित्तीय वर्ष 2021-22 में पूर्ण कर लिया जाएगा।
11. इसके कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत निदेशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक रूप से अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
12. कार्य में निकलने वाले सामग्रियों का स्क्रेप मूल्य वर्तमान दर के 40% की राशि संवेदक के विपत्र से कटौती कर सरकारी राजस्व में जमा करना होगा।

13. इसके कार्यान्वयन के पूर्व पुनर्स्थापन कार्य के संबंध में विभाग द्वारा पूर्व में निर्गत दिशा निदेश का अनुपालन सक्षम तकनीकी पदाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा एवं तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जायेगी।
14. इस कार्य की फोटोग्राफी एवं विडियोग्राफी, कार्य के प्रारम्भ, कार्य के दौरान एवं कार्य के पूर्ण होने पर करा लिया जायेगा।
15. कार्य के निविदा निस्तारण के क्रम में विभागीय पत्रांक-3112, दिनांक-14.06.2019 की कंडिका-6.11 में निर्धारित समय सीमा का दृढ़ता से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
16. इस पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
17. इसे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के द्वारा महालेखाकार झारखंड, राँची को संसूचित किया जाय।

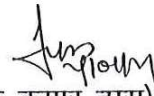
झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,


(प्रशांत कुमार)
सचिव

पत्रांक:-3/पी०एम०सी०/प्र०स्वी०/111/2013-14/20-21 प्र० स्वी० /राँची, दिनांक:- 01-02-2020
प्रतिलिपि:-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, झारखंड, राँची को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखंड, राँची को संसूचनार्थ/योजना-सह-वित्त विभाग (योजना प्रभाग) झारखंड सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(अशोक कुमार दास)
सरकार के संयुक्त सचिव (अभि०)

पत्रांक:-3/पी०एम०सी०/प्र०स्वी०/111/2013-14/20-21 प्र० स्वी० /राँची, दिनांक:- 01-02-2020
प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(अशोक कुमार दास)
सरकार के संयुक्त सचिव (अभि०)

पत्रांक:-3/पी०एम०सी०/प्र०स्वी०/111/2013-14/20-21 प्र० स्वी० /राँची, दिनांक:- 01-02-2020
प्रतिलिपि:-अभियंता प्रमुख-I/II, जल संसाधन विभाग, राँची/ सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखंड, राँची/उप सचिव (अभि०) जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना मॉनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/मुख्य अभियंता (यांत्रिक) जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची/अधीक्षण अभियंता (यांत्रिक) सिंचाई यांत्रिक अंचल, राँची/कार्यपालक अभियंता, सिंचाई यांत्रिक प्रमंडल, राँची/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मॉनिटरिंग अंचल-1/2/3 राँची एवं प्रशाखा पदाधिकारी-7 जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(अशोक कुमार दास)
सरकार के संयुक्त सचिव (अभि०)

पत्रांक:-3/पी०एम०सी०/प्र०स्वी०/111/2013-14/20-21 प्र०स्वी० /राँची, दिनांक:- 01-02-2021

प्रतिलिपि:- आयुक्त, दक्षणी छोटानागपुर को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसकी प्रतिलिपि अपने स्तर से जिलान्तर्गत माननीय सांसद एवं विधायक को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।


(अशोक कुमार दास)

सरकार के संयुक्त सचिव (अभि०)

पत्रांक:-3/पी०एम०सी०/प्र०स्वी०/111/2013-14/20-21 प्र०स्वी० /राँची, दिनांक:- 01-02-2021

प्रतिलिपि:- वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, राँची को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित/कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मॉनिटरिंग प्रमण्डल सं०-3, राँची को प्रशासनिक स्वीकृति On-line करने हेतु प्रेषित।


(अशोक कुमार दास)

सरकार के संयुक्त सचिव (अभि०)